माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

छात्रावास के नियम एवं प्रावधान

छात्रावास में रहने वाले सभी विद्यार्थियों को छात्रावास के निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य है–

छात्रावास में प्रवेश नियम –

1. विश्वविद्यालय छात्रावास में प्रवेश स्नातक पाठ्यक्रम (प्रथम एवं द्वितीय) को केवल दो वर्ष एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को केवल 1 वर्ष के लिए होगा। इस अवधि के पश्चात् छात्रावास को रिक्त करना अनिवार्य होगा।
2. शारीरिक रूप से अक्षम/दिव्यांग स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को छात्रावास प्रवेश प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जायेगी।
3. छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन विभाग में देना होगा। उपलब्ध स्थानों के आधार पर विभाग द्वारा भेजे गये आवेदनों की प्रवेश/प्रतीक्षा सूची जारी की जायेगी। प्रवेश सूची में नाम आने पर छात्रावास में प्रवेश प्रक्रिया **कार्यालयीन दिवस एवं समय** पर की जा सकेगी।
4. स्नातक तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में यदि कोई विद्यार्थी छात्रावास में रहना चाहता है तो उसे **निम्न स्थितियों में छात्रावास आवंटित किया जा सकता है –**
   - (अ) प्रवेश प्रक्रिया के दौरान प्रथम वर्ष प्रवेश की तिथि उपरान्त यदि छात्रावास में रिक्त स्थान है तो स्नातक तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को रिक्त स्थान पूरे होने तक प्रवेश दिया जा सकेगा।
   - (ब) विद्यार्थी को छात्रावास में स्थान रिक्त होने की स्थिति में प्रवेश दिया जा सकता है। किन्तु यह आवश्यक है कि विद्यार्थी पूर्व में छात्रावास में रहने के दौरान अनुशासित रहे हो, पूर्णतः नियमों का पालन किया हों एवं विश्वविद्यालय या छात्रावास की किसी भी अनुशासनहीन गतिविधि में शामिल न रहे हों।
   - (स) सीमित स्थान पर किन विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना है प्राप्त आवेदनों पर विचार कर, अनुमोदन वरिष्ठ स्तर से या वरिष्ठ स्तर द्वारा गठित समिति द्वारा किया जा सकेगा।
5. छात्रावास आवेदन–पत्र में विद्यार्थियों के अभिभावकों द्वारा परिचय कराये गये स्थानीय संरक्षक, अभिभावक का पूरा नाम, पता, फोन नम्बर, ई–मेल, फोटो आदि के साथ आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा।
6. विद्यार्थियों को प्रवेश के दौरान ही प्रवेश आवेदन–पत्र में स्थानीय अभिभावक का उल्लेख करना **अनिवार्य होगा। सत्र के मध्य में स्थानीय अभिभावक को अपने आवेदन–पत्र में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं होगी।**
7. छात्रावास में निवासरत् विद्यार्थी यदि अपना वाहन रखते हैं तो वाहन चिन्हित पार्किंग में ही खड़ा करेंगें एवं वाहन सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी विद्यार्थी की स्वयं की होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

माखनपुरम परिसर, म.प्र. राज्य शूटिंग अकादमी के सामने, पोस्ट बरखेड़ा नाथू, बिसनखेड़ी, भोपाल–462044 फोनः (0755)-2551642/2553523

Makhanpuram Parisar, Infront of M.P. State Shooting Academy, Post Barkheda Nathu, Bishankhedi, Bhopal-462044, Phone-(0755)-2551642/2553523 Website – www.mcu.ac.in

8. किसी भी प्रकार की पूर्व गम्भीर बीमारी के बारे में प्रवेश के पूर्व चीफ वार्डन/प्रभारी को जानकारी देना आवश्यक है। डॉक्टर के आवश्यक दस्तावेज प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

छात्रावास शुल्क नियम–

1. छात्रावास शुल्क वेबसाईट पर उपलब्ध शुल्क विवरण के आधार पर किश्त निर्धारित माह की दिनांक 10 तक जमा करना अनिवार्य होगा।
2. छात्रावास शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के पश्चात् उपरोक्त उल्लेखित निर्धारित माह की 11 तारीख से 20 तारीख तक विलम्ब शुल्क राशि रू. 50/– एवं माह की 21 तारीख से 30 तारीख तक विलम्ब शुल्क राशि रू. 100/– तत्पश्चात् विलम्ब शुल्क राशि रू. 500/– देय होगा।
3. निविदा दरों के आधार पर मैस शुल्क में परिवर्तन, बढ़ोत्तरी होना स्वाभाविक है। इस आधार पर छात्रावास शुल्क में परिवर्तन किया जा सकेगा।
4. यदि कोई विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र के बीच में छात्रावास खाली करना चाहता है, तो कम से कम एक माह पूर्व लिखित आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इस अवधि में यदि त्रैमासिक शुल्क की तिथि आती है तो विद्यार्थी को त्रैमासिक शुल्क भी जमा करना अनिवार्य होगा एवं जमा छात्रावास कॉशनमनी राशि वापस नहीं होगी।
5. यदि विद्यार्थी बिना किसी पूर्व लिखित सूचना के सत्र के मध्य में छात्रावास रिक्त करता है अथवा उसे छात्रावास से निष्कासित किया जाता है तब भी उसे छात्रावास का पूरा त्रैमासिक शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा एवं उसकी जमा छात्रावास कॉशनमनी राशि वापस नहीं होगी।
6. **छात्रावास की सुविधा वार्षिक है।** अतः यदि विद्यार्थी किसी भी कारण से शैक्षणिक सत्र के बीच में छात्रावास रिक्त करता है या उसे छात्रावास से निष्कासित किया जाता है तो इस स्थिति में विद्यार्थी की कॉशनमनी वापस नहीं होगी।
7. विद्यार्थियों की जमा छात्रावास कॉशनमनी उपरोक्त पाठ्यक्रम समाप्ति तिथि से छः माह की अवधि में छात्रावास अदेय (नोड्यूज) प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर वापस की जायेगी। विद्यार्थी को अपना स्वयं का बैंक विवरण देना अनिवार्य होगा। कॉशनमनी वापसी का आवेदन करते समय सम्बन्धित विद्यार्थी को जमा की गई कॉशनमनी की मूल रसीद एवं जमा की गई अंतिम शुल्क की रसीद अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगी। इस अवधि में कॉशनमनी के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर विद्यार्थी की कॉशनमनी वापस लेने की पात्रता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
8. **छात्रावास छोड़ने पर निम्नलिखित परिस्थितियों में विद्यार्थी की कॉशनमनी वापस नहीं होगी–**
   - **(क) शैक्षणिक सत्र के मध्य में छात्रावास छोड़ने पर।**
   - **(ख) बिना किसी पूर्व सूचना के छात्रावास छोड़ने पर।**
   - **(ग) छात्रावास से निष्काषित किये जाने पर।**
   - **(घ) छात्रावास सम्पति को नुकसान पहुंचाये जाने की स्थिति में।**
   - **(ड) यदि किसी प्रकरण में दंड स्वरूप कॉशनमनी वापस न किया जाना।**

माखनपुरम परिसर, म.प्र. राज्य शूटिंग अकादमी के सामने, पोस्ट बरखेड़ा नाथू, बिसनखेड़ी, भोपाल–462044 फोनः (0755)-2551642/2553523
Makhanpuram Parisar, Infront of M.P. State Shooting Academy, Post Barkheda Nathu, Bishankhedi, Bhopal-462044,
Phone-(0755)-2551642/2553523 Website – www.mcu.ac.in

9. यदि कोई विद्यार्थी छात्रावास में प्रवेश के पश्चात् विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम निरस्त करने के साथ–साथ छात्रावास छोड़ता है तो जमा छात्रावास शुल्क वापस नहीं होगा।
10. विद्यार्थी द्वारा यदि कोई अर्थदंड/जुर्माना समय पर जमा नहीं किया गया है तो उसकी प्रतिपूर्ति विद्यार्थी द्वारा जमा की गई कॉशनमनी से की जायेगी।
11. यदि कोई विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र के बीच में छात्रावास में प्रवेश लेना चाहता है तो विद्यार्थी को विभाग के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा एवं छात्रावास में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे विद्याथियों को त्रैमासिक शुल्क के साथ ही प्रथम किश्त की कॉशनमनी एवं संधारण शुल्क जमा करवाना अनिवार्य होगा ।

<u>छात्रावास नियम</u> –

1. रैगिंग पूर्णतया वर्जित है, किसी भी रूप में रैगिंग अर्थात अप्रिय शोर करना, उच्छृंखल आचरण करना, कोई ऐसा कार्य करना जिससे शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान होता है या होने की सम्भावना होती है या नए विद्यार्थियों के लिए शंका, शर्म या शर्मिंदगी पैदा होती है, चाहे शब्दों से मौखिक, लिखित या किसी ऐसे कार्य द्वारा जिसमें चिढ़ाना, गाली देना, ऐसे विद्यार्थियों पर व्यावहारिक चुटकुले खेलना या उन्हे चोट पहुंचाना शामिल है या नए विद्यार्थियों को कोई कार्य करने के लिए कहना या ऐसी चीज करना है जो सामान्य स्थिति में ऐसा विद्यार्थी स्वेच्छा से नहीं करेगा, ऐसा कार्य पूर्णतः निषेध होगा। यदि कोई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग में शामिल या उकसाने का दोषी पाया जाता है, तो उसे विश्वविद्यालय से दंडित/निष्काषित/निलम्बित किया जायेगा और रिट याचिका क्रमांक 656/1998 (सी) पर भारत के माननीय सर्वोच्य न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में अभियोजन के लिए भी उत्तरदायी होगा। रैगिंग एक अपराध है। कोई भी कानून से अनभिज्ञ होने का नाटक नहीं कर सकता है। रैगिंग निषेध अधिनियम 1997 के तहत रैगिंग करने वालों को दंडित किया जा सकता है। रैगिंग के लिए छह महीने से 10 साल तक की जेल और रूपये 50,000/– (पचास हजार रूपये) तक का जुर्मने का प्रावधान हैं।
2. छात्रावास में स्थान स्वयं के निवास हेतु तथा केवल शिक्षा अध्ययन के लिए है। इसमें किसी भी प्रकार का अनैतिक, अवैधानिक कार्य, किसी भी रूप में नशीले पदार्थों का सेवन करना, नशा करके छात्रावास में आना या नशीले पदार्थ जैसे – ड्रग्स, सिगरेट, शराब, चरस, गांजा, भांग एवं अन्य नशीले पदार्थ अपने पास रखना दंडनीय अपराध है। ऐसा करते पाये जाने पर उसे छात्रावास के साथ–साथ विश्वविद्यालय से भी निष्काषित किया जायेगा।
3. छात्रावास में किसी भी सामूहिक आयोजन, विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, संगोष्ठी करने की अनुमति नहीं है। बिना अनुमति उक्त कार्यों में शामिल विद्यार्थियों पर विश्वविद्यालय स्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
4. विश्वविद्यालय/छात्रावास में तोड़–फोड़/सम्पत्ति नुकसान के संदर्भ में अकादमिक गतिविधि नियम–2 के अतिरिक्त विश्वविद्यालय स्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दंडित किया जा सकेगा।

माखनपुरम परिसर, म.प्र. राज्य शूटिंग अकादमी के सामने, पोस्ट बरखेड़ा नाथू, बिशनखेड़ी, भोपाल–462044 फोनः (0755)-2551642/2553523
Makhanpuram Parisar, Infront of M.P. State Shooting Academy, Post Barkheda Nathu, Bishankhedi, Bhopal-462044,
Phone-(0755)-2551642/2553523 Website – www.mcu.ac.in

5. माता–पिता/अभिभावकों एवं आगंतुकों को कार्य दिवसों में सुबह 8.00 बजे से 10.00 बजे तक, शाम 6.00 से 8.00 बजे के बीच एवं छुट्टी के दिन सुबह 11.00 बजे से शाम 8.00 बजे के बीच विद्यार्थियों से मिलने की अनुमति होगी। कोई भी विद्यार्थी अपने माता–पिता सहित किसी भी आगंतुक को कमरे में नहीं ले जायेगा। माता–पिता को विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ सहयोग करने का वचन देना होगा और बुलाये जाने पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
6. विद्यार्थियों को रात 8.30 बजे (माह जुलाई से फरवरी) एवं 9 बजे (माह मार्च से जून तक) के बाद छात्रावास से बाहर रहने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी विद्यार्थी उपरोक्तानुसार रात्रि 8.30/9.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक छात्रावास से वार्डन की पूर्व अनुमति बिना अनुपस्थित नहीं रहेगा।
7. **विद्यार्थियों को छात्रावास से घर जाने, बाहर रहने, शैक्षणिक कार्यक्रम में जाने, स्थानीय अभिभावक के घर रूकने हेतु निम्नांकित नियमों/आवश्यक प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा–**
   - (क) विद्यार्थी लिखित अवकाश आवेदन–पत्र पर विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं विभाग की सील लगावाकर कार्यालयीन दिवसों एवं समय पर छात्रावास में प्रस्तुत करेंगे।
   - (ख) आवेदन–पत्र के साथ माता–पिता/अभिभावक की हस्तलिखित अनुमति हस्ताक्षर के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही माता–पिता का सहमति–पत्र छात्रावास की अधिकृत ई–मेल बालक छात्रावास हेतु boyshostel @mcu.ac.in एवं बालिका छात्रावास के लिए girlshostel@mcu.ac.in पर भेजना भी अनिवार्य होगा। अन्य किसी डिजीटल माध्यम से आवेदन पत्र मान्य नहीं होगें।
   - (ग) कार्यक्रम से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   - (घ) आवेदन–पत्र पर स्थान, तारीख कारण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना होगा।
   - (ड) आवेदन–पत्र के साथ ट्रेन, बस, हवाई टिकट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

   उपरोक्त सभी प्रपत्रों के अभाव में किसी भी दशा में बाहर जाने एवं रूकने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकेगी।
8. विद्यार्थी के छात्रावास आवेदन–पत्र में **स्थानीय अभिभावक** की पूर्ण एवं स्पष्ट जानकारी (नाम, पता, फोन नम्बर, फोटो, आधर कार्ड की छायाप्रति इत्यादि) अंकित होने के साथ–साथ माता–पिता की लिखित अनुमति प्राप्त होने पर ही उसे स्थानीय अभिभावक के यहां जाने की अनुमति दी जायेगी।
9. सभी विद्यार्थी निर्धारित समय के अनुसार रोल कॉल (उपस्थिति) के लिए रिपोर्ट करेंगे अनुपस्थित रहने पर अनुशासनात्मक, अर्थदंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
10. छात्रावास में विद्यार्थियों से सहयोगी स्टाफ एवं कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार एवं भाषा का उपयोग आपेक्षित है। स्टॉफ एवं कर्मचारियों के साथ अशिष्ट व्यवहार करने पर विद्यार्थी को छात्रावास से निष्काषित किया जा सकता है।
11. छात्रावास की सेवा का उपयोग निजी या व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं किया जायेगा। छात्रावास के कर्मचारियों को नगद या वस्तु के रूप में कोई राशि/सामान नहीं दिया जाए।

माखनपुरम परिसर, म.प्र. राज्य शूटिंग अकादमी के सामने, पोस्ट बरखेड़ा नाथू, बिसनखेड़ी, भोपाल–462044 फोनः (0755)-2551642/2553523

Makhanpuram Parisar, Infront of M.P. State Shooting Academy, Post Barkheda Nathu, Bishankhedi, Bhopal-462044, Phone-(0755)-2551642/2553523 Website – www.mcu.ac.in

12. विद्यार्थियों को रहवासी क्षेत्र, पानी की टंकी, पॉवर प्लांट, जंगल झाड़ियों, केबल नालियों इत्यादि में जाना प्रतिबंधित है।
13. पानी अमूल्य है अतः व्यर्थ न बहाएं। पानी की जो भी उचित व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जायेगी, उसको मान्य करना होगा। सर्दियों में गर्म पानी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक सिर्फ दिसम्बर, जनवरी, फरवरी में उपलब्ध होगा। गर्मियों में पानी मार्च, अप्रैल, मई, जून माह में प्रातः 7 से 10 बजे एवं शाम 5 से 7 बजे पर ही पानी की सप्लाई की जायेगी। यदि किसी कारणवश पानी की सप्लाई में आकस्मिक परेशानी होती है तो तत्कालीन व्यवस्था जो भी उपलब्ध होगी स्वीकार्य करना होगा। बाथरूम के नल एवं गीजर बन्द करना आवश्यक है।
14. विद्यार्थियों को छात्रावास छोड़ते समय छात्रावास प्रशासन द्वारा कक्ष में दिए गए सामान (पलंग, गद्दा, गद्दे का कवर, पर्दे, अलमारी, चाबी, स्टडी टेबल, कुर्सी, डस्टबिन इत्यादि) को उचित हालत में वापस करना अनिवार्य होगा। दिए गए सामान में कमी होने पर सामान का मूल्य छात्रावास में जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।
15. **छात्रावास प्रशासन द्वारा छात्रावास से निष्कासन निम्न परिस्थितियों में किया जा सकता है –**
    (1) विद्यार्थी ने यदि छात्रावास के उपरोक्त नियमों या संचालक मंडल की अवहेलना की हो।
    (2) विद्यार्थी ने या पालक/अभिभावक ने गलत जानकारी प्रस्तुत की हो।
    (3) नियमानुसार छात्रावास शुल्क जमा नहीं करने पर।
    (4) विद्यार्थी की बीमारी/रोग/संक्रमण से किसी अन्य विद्यार्थी पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीमारी/रोग/संक्रमण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो (जैसे किसी प्रकार का संक्रामक रोग)।
    (5) व्यक्तिगत स्वच्छता न रखे जाने पर।
    (6) विद्यार्थी किसी अवांछित या अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर।
    (7) ड्रग्स, सिगरेट, शराब, नशीली दवाई आदि के सेवन करने पर।

अकादमिक गतिविधि के तहत नियम –

1. छात्रावास के कमरे फर्नीचर और उपकरणों की फिटिंग से सुसज्जित हैं। कमरे में रहने वाला विद्यार्थी वस्तु सूची रजिस्टर में वस्तुओं की प्राप्ति के लिए हस्ताक्षर करेगा। शैक्षणिक सत्र पूर्ण होने पर कमरे को रिक्त करते समय छात्रावास प्राधिकारियों को उनकी मूल सेवा योग्य स्थिति में वस्तुओं को सौंपने के लिए जिम्मेदार होगा।
2. भोजन कक्ष के फर्नीचर, कमरे के फर्नीचर या छात्रावास के किसी भी फर्नीचर/सम्पत्ति/दीवार या फिटिंग को खराब करना सख्त मना है। यदि किसी विद्यार्थी या समूह द्वारा नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, तो उससे/समूह से क्षतिग्रस्त सम्पत्ति की लागत का दोगुना मूल्य वसूल किया जायेगा। छात्रावास की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने की बार–बार की गई हरकतों के परिणाम स्वरूप छात्रावास से निष्काषित किया जायेगा।

3. विद्यार्थियों को रात्रि 10.00 बजे के बाद खाद्य सामग्री/अन्य की डिलीवरी स्वीकार करने की अनुमति नहीं होगी। मंगवाये गये खाद्य सामग्री की मूल रसीद छात्रावास में जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।
4. अपने सामान की सुरक्षा के लिए विद्यार्थी स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने कमरों में बड़ी मात्रा में नगदी, सोने या अन्य कीमती धातुओं का सामान जैसे – सोने एवं चांदी का कीमती सामान, सोने की अंगूठी/चैन, मंहगी कलाई घड़ी आदि न रखे। विद्यार्थी अपने पर्स, कैलकुलेटर, सेल फोन, लैपटाप, कम्प्यूटर, किताबों आदि की भी सुरक्षा करेंगे। किसी वस्तु के चोरी होने या गुम हो जाने की स्थिति में छात्रावास के अधिकारी/ कर्मचारी तथा विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसे नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
5. लैपटाप, कम्प्यूटर, टेबल लैंप, प्रेस (Iron) और मोबाईल चार्जर को छोड़कर किसी भी प्रकार के बिजली उपकरण का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
6. कमरे में विद्यार्थी के न होने या कमरा छोड़ते समय कमरे के बिजली उपकरण जैसे – लाईट, पंखे एवं अन्य अनिवार्य रूप से बंद करने की जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी। विद्यार्थी द्वारा ऐसा न करने पर एक बार समझाईश दी जावेगी तथा इसे दोहराये जाने पर जुर्माना सहित कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
7. मीडिया, समाचार–पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया या किसी अन्य मीडिया के किसी भी सदस्य को छात्रावास के संबंध में कोई जानकारी या साक्षात्कार देने से पहले या छात्रावास के संबंध में किसी भी जानकारी से युक्त कोई भी भाषण देने से पहले विद्यार्थियों को वार्डन की पूर्व लिखित अनुमति लेनी आवश्यक होगी इसके साथ ही विषय–वस्तु से अवगत कराना अनिवार्य होगा।
8. छात्रावास में किसी भी तरह की फिल्म/विडियो बनाने की अनुमति नहीं होगी।
9. विश्वविद्यालय/छात्रावास के वार्डन समय–समय पर औचक निरीक्षण करेंगे और यदि कोई उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्रवाई (जैसे– निष्कासन या अर्थदंड) की जाएगी।
10. यदि कोई विद्यार्थी छात्रावास प्रशासन की अनुमति के बिना छात्रावास से बाहर रहता है तो विद्यार्थी पर अनुशासन समिति की अनुशंसा के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।
11. सेमेस्टर परीक्षा पूर्व विद्यार्थी को सभी डयूज, अर्थदंड राशि (यदि हो तो) या No Dues करवाना आवश्यक होगा। No Dues प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा प्रवेश–पत्र जारी किये जायेंगे।
12. किसी भी विद्यार्थी को वार्डन की पूर्व लिखित अनुमति के बिना एक कमरे से दूसरे कमरे/कमरा बदलने की अनुमति नहीं होगी और न ही किसी फर्नीचर को एक कमरे से दूसरे कमरे में स्थानान्तरित किया जाएगा।
13. विद्यार्थियों को शैक्षणिक कार्य दिवसों में कक्षाओं के दौरान छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं है, जब तक कि अस्वस्थ या उचित कारण से छात्रावास में रहने की स्थिति अपरिहार्य न हो। ऐसे मामलों में उन्हें लिखित रूप वार्डन की अनुमति लेनी होगी।

माखनपुरम परिसर, म.प्र. राज्य शूटिंग अकादमी के सामने, पोस्ट बरखेड़ा नाथू बिसनखेड़ी, भोपाल-462044 फोनः (0755)-2551642/2553523
Makhanpuram Parisar, Infront of M.P. State Shooting Academy, Post Barkheda Nathu, Bishankhedi, Bhopal-462044,
Phone-(0755)-2551642/2553523 Website – www.mcu.ac.in

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

14. छात्रावास में रहने वाले सभी विद्यार्थियों को कमरे के बाहर/छात्रावास परिसर/कॉरिडोर में पहनावे के प्रति मर्यादा रखनी होगी।
15. विद्यार्थी अपने कमरे, बरामदे और आस–पास के क्षेत्रों को हर समय साफ–सफाई से रखेंगे। कचरा कूड़ेदान के अलावा और कहीं न डाले, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। छात्रावास में यहां–वहां थूकना एवं गंदगी करना सख्त मना है।
16. छात्रावास में शांति बनाये रखना आवश्यक होगा। कमरें के बाहर संगीत, तेज आवाज सुनाई न दे, इसका विद्यार्थियों को विशेष ध्यान रखना होगा। किसी भी तरह के उत्सव और शोर–शराबे की अनुमति छात्रावास प्रांगण में नहीं दी जायेगी।
17. छात्रावास में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन प्रतिबन्धित हैं। किसी भी प्रकार के कार्यक्रम, सामूहिक उत्सव, जन्मदिन आदि मनाने के लिए वार्डन की पूर्व लिखित अनुमति आवश्यक होगी। समारोह रात्रि 8.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे के बीच एक से दो घंटे के लिए छात्रावास परिसर में आयोजित किया जायेगा। किसी बाहरी अतिथि को समारोह में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
18. विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जो छात्रावास में नहीं रहते हैं उन्हें छात्रावास में आने या रात में रूकने की अनुमति नहीं होगी।
19. विद्यार्थी परिसर में मछली, बिल्ली, तोता, कुत्ते एवं अन्य कोई भी पालतू जानवर नहीं लायेंगे या रखेंगे।
20. विद्यार्थी किसी भी राजनीतिक या साम्प्रदायिक गतिविधि जो कानून और व्यवस्था के लिए हानिकारक हो या विश्वविद्यालय के खिलाफ हो, में शामिल नहीं होंगे। विद्यार्थी राजनीतिक या साम्प्रदायिक मामलों सहित किसी भी चीज या किसी भी मामले के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई प्रचार–प्रसार छात्रावास में नहीं करेगें।
21. यदि कोई विद्यार्थी सीमित समयावधि के लिए छात्रावास में रहना चाहता है तो इस दौरान कक्ष खाली होने की स्थिति में विश्वविद्यालय के ट्रांजिट हॉस्टल (बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर) के लिए निर्धारित किराये की आधी दरों पर हॉस्टल में प्रवेश दिया जा सकता है। ट्रांजिट हॉस्टल (बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर) में विद्यार्थी को मैस की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। भोजन की व्यवस्था स्वयं करेंगे। उक्त प्रकरण में विभागाध्यक्ष के साथ–साथ माननीय कुलगुरु की स्वीकृति के उपरान्त ही प्रवेश दिया जायेगा। इसके भुगतान की प्रक्रिया ट्रांजिट हॉस्टल के नियमानुसार होगी।
22. छात्रावास में किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थी को कक्ष में अकेला रखा जाना सम्भव नहीं होगा। आवश्यकता पड़ने पर चीफ वार्डन की अनुशंसा पर विद्यार्थी को कक्ष परिवर्तन करना अनिवार्य होगा।
23. विद्यार्थी संधारण सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण के लिए छात्रावास में संधारित रजिस्टर में शिकायतें दर्ज करेंगे।
24. किसी अन्य समस्या/शिकायत हेतु विद्यार्थी विभागाध्यक्ष के माध्यम से चीफ वार्डन को अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

माखनपुरम परिसर, म.प्र. राज्य शूटिंग अकादमी के सामने, पोस्ट बरखेड़ा नाथू, बिशनखेड़ी, भोपाल–462044 फोन: (0755)-2551642/2553523
Makhanpuram Parisar, Infront of M.P. State Shooting Academy, Post Barkheda Nathu, Bishankhedi, Bhopal-462044,
Phone-(0755)-2551642/2553523 Website – www.mcu.ac.in

25. छात्रावास में निवासरत् विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा समाप्ति के उपरान्त पुनः कक्ष आवंटन के लिए छात्रावास को रिक्त करना अनिवार्य होगा ताकि इस दौरान छात्रावास एवं कक्षों का रख–रखाव कार्य सम्पन्न हो सके। विद्यार्थी को अधिकतम 15 जून या अन्तिम परीक्षा तिथि तक छात्रावास में रहने की अनुमति होगी।
26. विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को रूपये 100/– के शपथ–पत्र पर इस आशय का वचन–पत्र (Undertaking) देना अनिवार्य होगा कि वह छात्रावास के सभी नियमों से सहमत हैं एवं उनका पूर्णतः अनुपालन करेंगे।
27. विश्वविद्यालय एवं छात्रावास प्रबंधन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

छात्रावास मैस नियम –

1. छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रावास से जुड़ी मेस में भोजन करना अनिवार्य है।
2. हॉस्टल वार्डन की पूर्व अनुमति से बीमार बताए गये विद्यार्थी (डॉ. का पर्चा अनिवार्य होगा) को छोड़कर किसी को भी छात्रावास कक्ष में भोजन करने की अनुमति नहीं है।
3. कमरों में चाय, कॉफी, नूडल्स बनाने सहित अन्दर खाना पकाने की सख्त मनाही है।
4. सुबह का नाश्ता प्रातः 8.00 बजे से 9.15 बजे के बीच होगा। दोपहर का भोजन 1.00 बजे से 2.15 बजे तक, शाम का नाश्ता सायं 5.00 बजे 6.00 बजे तक एवं रात्रि भोजन का समय रात्रि 8.00 बजे से 9.15 तक रहेगा। भोजन के समय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
5. छात्रावास में टिफिन मंगवाने की सुविधा प्रतिबंधित है।
6. मेस सम्बन्धित सुझाव/शिकायतों के लिए छात्रावास में रजिस्टर उपलब्ध होगा। विद्यार्थी इसका उपयोग कर सकते है।

छात्रावास अर्थदंड नियम –

1. विद्यार्थियों को स्पष्ट निर्देश है कि छात्रावास के समय का अनुपालन करें। बिना अनुमति देर से आने पर रूपये 100/– अर्थदंड देय होगा। पुनरावृत्ति होने पर विद्यार्थी को निष्कासित किया जा सकता है।
2. छात्रावास में विद्याथियों को रात्रिकालीन उपस्थिति रजिस्टर में निर्धारित समय पर स्वयं आकर उपस्थिति दर्ज करना आवश्यक है। विद्यार्थियों के लगातार अनावश्यक रूप से अनुपस्थित रहने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी तथा रूपये 50/– (प्रति अनुस्थिति) का अर्थदंड देय होगा।
3. छात्रावास में सुरक्षाकर्मी (गार्ड) के पास बाहर रखे रजिस्टर में आने–जाने की गलत जानकारी देने तथा एंट्री न किये जाने पर रूपये 100/– (प्रति एंट्री) अर्थदंड देय होगा।
4. गीले कपड़ों को फर्नीचर, कैमरे पर नहीं सुखाया जायेगा। बालकनी में निर्धारित स्थान पर ही कपड़े इत्यादि सुखाने के लिए उपयोग करना होगा। अन्य जगह पर कपड़ों को सूखता हुआ पाये जाने पर रूपये 100/– अर्थदंड देय होगा।

माखनपुरम परिसर, म.प्र. राज्य शूटिंग अकादमी के सामने, पोस्ट बरखेड़ा नाथू, बिशनखेड़ी, भोपाल-462044 फोन: (0755)-2551642/2553523

Makhanpuram Parisar, Infront of M.P. State Shooting Academy, Post Barkheda Nathu, Bishankhedi, Bhopal-462044, Phone-(0755)-2551642/2553523 Website – www.mcu.ac.in

5. कूलर एवं अन्य सामग्री को फर्नीचर (स्टडी टेबल, कुर्सी, पलंग) पर रखना प्रतिबन्धित है। यदि कोई विद्यार्थी फर्नीचर का दुरूपयोग करता है तो रूपये 500/– अर्थदंड देय होगा।
6. छात्रावास के कमरे में पंखा, टयूबलाईट, बल्ब के अलावा अन्य विद्युत उपकरण जैसे–इलेक्ट्रिक कैटल, इंडक्शन, पानी गर्म करने की रॉड इत्यादि का उपयोग करना सख्त मना है, उपरोक्त उपकरणों का उपयोग करते पाए जाने पर अर्थदंड रूपये 200/– तक देय होगा एवं उक्त सामान जप्त कर लिया जायेगा।
7. छात्रावास के कमरों, दीवार, अलमारी, खिड़की, दरवाजों पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, लाईटिंग, कील ठोकना, गुब्बारे लगाना, स्केच बनाना, स्टीकर चिपकाना इत्यादि सख्त मना है। यदि कोई विद्यार्थी कमरों की दीवारों को गंदा करता है तो अर्थदंड रूपये 500/– देय होगा।
8. दीवाली, होली, रंगपचंमी, जन्मदिन आदि अन्य अवसरों के समय हॉस्टल के कमरे, दीवार गंदी नहीं करें अन्यथा अर्थदंड रूपये 500/– देय होगा।
9. विद्यार्थियो ं को उपलब्ध करवायी गई अलमारी एवं लॉफ्ट की चाबी गुम हो जाने एवं नयी चाबी बनाने का वास्तविक व्यय (अनुमानित रूपये 1000/–) विद्यार्थी को देना होगा।
10. रात्रि 11 बजे के बाद अपने कमरे, बालकनी आदि स्थानों पर तेज संगीत, नाच–गाना और शोर मचाना जिससे दूसरे कमरों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न हो दंडनीय है। उक्त निर्देश का पालन न करने पर अर्थदंड रूपये 200/– प्रत्येक विद्यार्थी देय होगा।
11. कमरे के बाहर जाते समय टयूबलाईट, पंखे, बन्द करके जाना अनिवार्य है अन्यथा कमरे के रहवासी विद्यार्थी को प्रतिदिन रूपये 100/– जुर्माना देना होगा।
12. विद्यार्थी को जुर्माना/अर्थदंड राशि नगद/ऑनलाईन (QR Code) कोड के माध्यम से जमा करना होगा।
13. माननीय कुलगुरु का निर्णय अंतिम बाध्यकारी एवं मान्य होगा।

(प्रो. पी. शशिकला)
प्रभारी कुलसचिव

माखनपुरम परिसर, म.प्र. राज्य शूटिंग अकादमी के सामने, पोस्ट बरखेड़ा नाथू, बिसनखेड़ी, भोपाल–462044 फोनः (0755)-2551642/2553523
Makhanpuram Parisar, Infront of M.P. State Shooting Academy, Post Barkheda Nathu, Bishankhedi, Bhopal-462044,
Phone-(0755)-2551642/2553523 Website – www.mcu.ac.in